"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2015—श्रावण 23, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लोचन कुमार ठाकुर पिता श्री गैन्दू राम ठाकुर, उम्र 40 वर्ष, आदर्श स्ट्रीट ध्रुपे गली, राम नगर, सुपेला भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में सीनियर टेक्निशियन, मेकनिकल एस.एम.एस.-1, विभाग में पदस्थ हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम लोचन कुमार दर्ज है तथा आधार कार्ड, बैंक आदि में लोचन कुमार ठाकुर दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम लोचन कुमार ठाकुर रख लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे लोचन कुमार ठाकुर पिता श्री गैन्दू राम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
लोचन कुमार पिता-श्री गैन्दू राम ठाकुर निवासी-आदर्श स्ट्रीट, ध्रुपे गली, राम नगर, सुपेला भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	लोचन कुमार ठाकुर पिता-श्री गैन्दू राम ठाकुर निवासी-आदर्श स्ट्रीट, ध्रुपे गली, राम नगर, सुपेला भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 06 जुलाई 2015

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा./परि./2015/308.—इस कार्यालय के आदशे क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/701 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत राजहरा रिक्शा श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2170 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री बी. एल. नेताम, स.नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 03-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 06 जुलाई 2015

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा./परि./2015/309.—इस कार्यालय के आदशे क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/699 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत ओम श्रम सहयोग सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 157 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री बी. एल. नेताम, स.नि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 03-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप-पंजीयक.